न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

ETO 09 / 2024

सुशीला देवी पत्नि स्व० राजेन्द्र कुमार
कु. सजाता पुत्री स्व० राजेन्द्र कुमार
नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुशीला देवी
जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— प्रार्थीयागण

बनाम

1. रविन्द्र वल्द दलीप जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

—— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी

निर्णय दिनांकः—12/6/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया सुशीला के ससुर दलीपराम पुत्र श्योजीराम थे, उनका देहान्त गत दिनो हो चुका है, उक्त स्व० दलीपराम के नाम से चक 6 एस.बी.एन. चक 9 एस. बी.एन तथा अन्य चको में कई खातो में कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित थी जो स्व० दलीपराम को विरासत में अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई थी । स्व० दलीपराम के दो पुत्र रविन्द्र व प्रार्थीया सुशीला के पति स्व० राजेन्द्र कुमार थे । स्व० दलीपराम के परिवार के पुरुष वंशज होने के फलस्वरुप दलीपराम व उनके दोनो पुत्र उपरोक्त कृषि भूमि में सम्मभाग की दर से 1/3 भाग के हिताधिकारी थे, दुर्भाग्यवंश दलीपराम के द्वितीय पुत्र अर्थात प्रार्थीयागण के पति/पिता स्व० राजेन्द्र कुमार का दिनांक 26.6.2004 को वाहन दुर्घटना में देहावसान हो गया । स्व० राजेन्द्रकुमार के मरणोपरान्त दलीपराम के नाम से अंकित भूमि में से स्व० राजेन्द्र कुमार के 1/3 हिस्सा की भूमि के प्रार्थीयागण समभाग की दर से 1/2 हिस्सा के हिताधिकारी हो गये थे, किन्तु प्रार्थीया सुशीला के जेठ अप्रार्थी रविन्द्र द्वारा प्राथीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना, मिथ्या कथनो के आधार पर एक राजस्व वाद बअनवानी रविन्द्र बनाम दलीपराम आदि प्रकरण संख्या 12/2013 पेश कर प्रार्थीगण से छुपाकर समस्त कार्यवाही एकाकी व गुप्त रुप से दिनांक 18. 03.2013 को माननीय न्यायालय से सही तथ्य छुपाकर निर्णित करवा निर्णय व डिक्री धोखे से प्राप्त कर ली। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2013 की फोटो प्रति संलग्न दरख्वास्त है । प्रार्थीयागण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान होते ही प्रार्थीयागण द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03. 2013 को अवैध, शून्य व प्रार्थीगण के अधिकारो के प्रति निष्प्रभावी घोषित करवाने हेतु एक व्यवहार वाद माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय टिब्बी में पेश कर दिया जिसमें माननीय सिविल न्यायालय

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

ी द्वारा दिनांक 5.11.2022 को निर्णय पारित करते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा बअनवानी
द्र बनाम दलीपराम आदि प्रकरण संख्या 12/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.
2013 को अवैध, शून्य व प्रार्थीगण के अधिकारो के प्रति निष्प्रभावी घोषित कर डिक्री पारित
गई। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की फोटो प्रति संलग्न दरख्वास्त है
नीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2022 के परिपेक्ष में प्रार्थीगागण
रोक डिक्री के आधार पर, अप्रार्थी रविन्द्र के नाम से राजस्व न्यायालय के निर्णय व डिक्री
ांक 18.03.2013 के आधार पर हुए परिवर्तन को पुनः परिवर्तित करवाकर राजस्व अभिलेख
पूर्व की स्थिति अर्थात पूर्वानुसार करवाने की प्रार्थीगागण विधिक रुप से अधिकारी व दावेदार
क्योकि सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2022 अन्तिम निर्णय है
सके खिलाफ कोई अपील दायर नही की गई है। माननीय न्यायालय की डिक्री दिनांक 18.
.2013 की पालना में उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी रविन्द्र के नाम से कागजात माल में दर्ज
गई है, इसलिए मुकदमाहाजा में केवल अप्रार्थी को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है।
र्थना पत्र अदालतहाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर मियाद पेश है ।
ः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 6 एस.बी.एन. पटवार हल्का सालीवाला बी के
ंन0 197/199 मु.न. 05 कि.न. 1,2,9 ता 12,19,20 प.न. 197/198 मु.न. 1 कि. न. 19/0.
90, 20/0.190,21, 22 कुल 2.910 है0 तथा चक 9 एस.बी.एन. के प. न. 196/198 मु.न. 34
कि.न. 16/0.1900, 17/0.202, 23, 24, 25 प.न. 196/199 मु.न. 35 कि.न. 3,4,5 प्रत्येक 0.
280, 6, 7, 8, 13, 14, 15 प. न. 193/200 मु.न. 59 कि.न. 20/2/0.0510, 21 कुल कुल
.733 हैक्टेय मय गै. मु. आराजी की कागजात माल में, अदालतहाजा द्वारा बअनवानी रविन्द्र
नाम दलीपराम आदि प्रकरण संख्या 12/2013 में पारित डिक्री दिनांक 18.03.2013 की पालना
ं दर्ज इंतकाल से पूर्व की स्थिति दर्ज की जाने का आदेश पारित किया जावे।

ार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया
या नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण की और से जरिये अधिवक्ता
रमजीत सिंह अधिवक्ता द्वारा आदेशिका दिनांक 10.06.2025 पर अंकन किया प्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थीगण को ऐतराज नही है।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस उभयपक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन
किया। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी
की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तहसीलदार
राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि **किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश
न हो तो एंव किसी सक्षम न्यायालय में कोई अपील विचाराधीन न हो** तो चक 6 एस.
बी.एन. पटवार हल्का सालीवाला बी के प0नं0 197/199 मु.न. 05 कि.न. 1,2,9 ता 12,19,20 प.
न. 197/198 मु.न. 1 कि. न. 19/0.190, 20/0.190,21, 22 कुल 2.910 है0 तथा चक 9 एस.
बी.एन. के प. न. 196/198 मु.न. 34 कि.न. 16/0.1900, 17/0.202, 23, 24, 25 प.न. 196/199

Scanned with CamScanner

मु.न. 35 कि.न. 3,4,5 प्रत्येक 0.2280, 6, 7, 8, 13, 14, 15 प. न. 193/200 मु.न. 59 कि.न. 20/2/0.0510, 21 कुल कुल 3.733 हैक्टेय मय गै. मु. आराजी में, अदालतहाजा द्वारा बअनवानी रविन्द्र बनाम दलीपराम आदि प्रकरण संख्या 12/2013 में पारित डिक्री दिनांक 18.03.2013 पालना में दर्ज इंतकाल से पूर्व की स्थिति दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आदिनांक 12/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner